

"आरतीय राजनीति एवं मतदान व्यवहार"

डॉ. एस. एस. दीवान

विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, चन्द्रपाल डडसेना शास. महावि. पिथौरा, जिला – महासमुंद छत्तीसगढ़

ABSTRACT

मतदान व्यवहार प्रत्येक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार किसी देश की राजनीतिक दशा व दिशा तय करता है। मतदान व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मतदान व्यवहार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग मत व्यक्त किए है।

INTRODUCTION

उल्लेखनीय है कि भारत मे सार्वमौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा कों अपनाया गया है। इसका अर्थ हैं कि भारत के नागरिको को. मतदान करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नही होगी बल्कि एक निश्चित आयु पूर्ण कर लेने के बाद उन्हे मतदान करने के लिए पात्र माना जाएगौ। पहले भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 24वर्ष निर्धारित कि गई थी लेकिन 6वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान करने की न्यूनतम आयु 2 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कर दी गई है। यानी अब 48 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने के लिए पात्र होता है। मतदान व्यवहार का सामान्य अर्थ मतदाताओं की उस मनः स्थिति से होता है जिससे प्रभावित होकर कोई मतदाता मतदान करता है। यानी मतदान व्यवहार इस बात को इंगित करता है कि लोगों ने क्या सोचकर मतदान किया है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार सार्वजनिक चुनावों के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान व्यवहार एक राजनीतिक के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक अवधारणा है।

दूसरे शब्दों में, मतदान व्यवहार एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसके तहत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार मतदान करते हैं। यानी मतदान के समय व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह्त द्वारा मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने वाला मनोभाव, मतदान व्यवहार कहलाता है। मतदान व्यवहार चुनावी व्यवहार का एक रूप है। मतदाताओ के व्यवहार को समझना यह बता सकता है कि कैसे और क्यो निर्णय सार्वजनिक निर्णयकर्ताओ दव्दारा लिए गए, जो राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए एक केंद्रीय चिंता का विषय रहा है। या मतदाताओं व्दारा। मतदान के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों विशेषता आवश्यक थी और इसलिए चुनावी मनोविज्ञान सहित राजनीतिक मनोविज्ञान का क्षेत्र उभरा। राजनीतिक मनोविज्ञान के शोधकर्ता उन तरीकों का अध्ययन करते है, जिनमें भावात्मक प्रभाव पडता है मतदाताओ को अधिक सूचित मतदान विकल्प बनाने में मदद कर सकता है, कुछ प्रस्ताव जो प्रभावित करते है, यह रपष्ट कर सकते है कि मतदाता कैसे राजनीतिक ध्यान और परिष्कार के समग्र स्तर के कम होने के बावजूद सूचित राजनीतिक विकल्प बनाता है। इसके विपरीत ,ब्रूटर और हैरिसन का सुझाव है कि चुनावी मनोविज्ञान उन तरीकों को शामिल करता है जिनमे व्यक्तित्व, स्मृति, भावनाएं, और अन्य मनोवैज्ञानिक कारक नागरिकों के चुनावी अनुभव और व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

मतदान के निर्णय से संबंधित व्यवहार के बारे में अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने के लिए, लिंग, जाति, संस्कृति या धर्म जैसे कुछ कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चुनावी व्यवहार को देखते हुए एक अधिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण लिया जा सकता है, जैसे कि धन और क्षेत्र को देखना जिसमे मतदाता रहता है जो उनके चुनावी विकल्पों पर प्रभाव डालेगा। इसके अलावा, प्रमुख सार्वजनिक प्रभावो मे भावनाओ की भूमिका, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विचारों की विविधता और मीडिया की सहनशीलता शामिल है। मतदान व्यवहार पर इन प्रभावों के प्रभाव को अभिवृत्तियों के निर्माण पर सिद्धांतों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है, विश्वास, स्कीमा, ज्ञान संरचना और सूचना प्रसंस्करण का अभ्यास। उदाहरण के लिए, विभिन्न देशों के सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि लोग आम तौर पर व्यक्तिवादी संस्कृतियों में अधिक खुश होते है जहां उनके पास वोट देने का अधिकार जैसे अधिकार होते है। इसके अतिरिक्त, परिवार और दोस्तो से उत्पन्न होने वाले सामाजिक प्रभाव और सहकर्मी प्रभाव भी चुनाव और मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस हद तक मतदान निर्णय आंतरिक प्रकि्याओ और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है, वह वास्तव में लोकतांत्रिक निर्णय लेने की गुणवत्ता को बदल देता है। ब्रूटर और हैरिसन यह भी सुझाव देते है कि निर्णय केवल वरीयता की अभिव्यक्ति नहीं है क्योकि वे कहते है कि मतदाता चुनाव मे भूमिका निभाते हैं और रेफरी और समर्थकों के बीच अंतर करते हैं। व्यवहारवादी कांति के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मतदान व्यवहार के अध्ययन का प्रचलन बढ़ गया। एल्डर्सवेल्ड ने 495। में पहली बार मतदान व्यवहार की अवधारणा का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार इसमें तीन तत्वों का अध्ययन किया जाना चाहिए मतदान परिणाम, मतदान का रूख तथा मतदान करने या नहीं करने के कौंन से कारक प्रभावी होते हैं। स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक शासन में अब तक 7 लोक सभा तथा अनेक विधान सभाओं के लिए आम चुनाव हो चुके हैं। प्रारंभ के तीन चार आम चुनावों कों छोड दिया जाय तो लगभग सभी चुनावों का परिणाम तथा रूख और कारक बदलते रहे है। इसलिए यहां मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन समीचीन प्रतीत होता हैं।

मतदान व्यवहार की विशेषताएँः

मत्तदान व्यवहार के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण की प्रकिया को समझने मे सहायता मिलती है। राजनीतिक समाजीकरण से आशय उस प्रकिया से है, जिसके माध्यम से लोगो मे राजनीतिक समझ विकसित की जाती है। राजनीतिक समाजीकरण. की प्रकिया का मूल उददेश्य राजनीतिक सिद्धांतों को एक पीढी से दूसरी पीढी मे स्थानांतरित करना होता है।

मतदान व्यवहार के माध्यम से इस बात की जांच की जा सकती है कि लोगो के मन मे लोकतंत्र के प्रति धारणा कैसी है। इसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की लोकतंत्र के प्रति सोच को समझने मे सहायता मिलती है। यानी यदि कोई व्यक्ति अधिकार या दायित्व बोध महसूस करते हुए मतदान करता है, तो उसे लोकतंत्र के प्रति आस्थावान व्यक्ति समझा जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नोटा के लिए मतदान करता है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग तो करना चाहता है, लेकिन वह वर्तमान मे किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उनके व्दारा उठाये जाने वाले चुनावी मुददो को पसंद नहीं करता है।

मतदान व्यवहार इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि चुनावी राजानीति किस सीमा तक पूर्ववर्ती राजनीतिक मुददो से संबंध रखती है। यदि गहराई से अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक चुनाव मे चुनावी मुददे हर बार लगभग समान होते है। उदाहरण के लिए गरीबी, बेरोजगारी, विकास, महंगाई, इत्यादि मुददो के इर्द गिर्द प्रत्येक चुनाव घूमता है। इसका अर्थ है कि मतदाता इन मुददो से काफी हद तक प्रभावित होकर मतदान करता है। इसलिए प्रत्येक चुनाव मे ये मुददे चुनावी राजनीति का हिस्सा होते है।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकः

मोरिस जोन्स, एन डी पामर सहित कई भारतीय विद्वानो यथा रजनी कोठारी, रामाश्रय राय, योगेन्द्र यादव आदि ने इस पक्ष पर प्रकाश डाला है। 1974 मे पामर ने भारत सहित दक्षिण एशियाई देशो के अध्ययन के पश्चात पांच कारकों की यथा उम्मीदवार के गुण, विचारधारा, राजनीतिक संलग्नता, सामाजिक आर्थिक कारक तथा धनबल, बाहुबल, एवं पोपुलिस्ट राजनीति। परन्तु भारतीय राजनीति की परिस्थितियों में कई बदलाव आये और पिछले दो दशको में इनके अतिरिक्त कुछ नये तत्व प्रकाश मे आये है जैसे दलीय नेतृत्व, सामाजिक न्याय एवं विकास तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्रमुख है। भारत मे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों को निम्नलिखित बिन्दुओ मे स्पष्ट किया जा सकता है।

1. सामाजिक आर्थिक विकासः
भारत में विकास का एक चिरप्रतीक्षित जनाकांक्षा रही है। विगत बीस वर्षों में लोगों के बीच सामाजिक–आर्थिक विकास, रोजगार, गरीबी उन्मूलन आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है। भूमण्डलीकरण एवं ज्ञानमूलक समाज के चलते आर्थिक विकास मतदाताओं की पहली प्राथमिकता है। विकास का सीधा अर्थ मूलभूत संरचनाओं का निर्माण से लिया जाता है। इसलिए मतदाता उन उम्मीदवारों या दलों को मत देते है। जो आधारभुत संरचनाओं का व्यापक कार्यक्रमों का वादा करते है। 2005 के विधानसभा तथा 204 के लोकसभा चुनावों में विकास महत्वपूर्ण मुद्दा था। 200 में बिहार में विकास पुरूष के रूप मे प्रतिष्ठित नीतिश कुमार मतदाताओं की प्रथम प्राथमिकता बन गये है।

2. व्यक्तिगत गुण एवं करिश्माई नेतृत्वः
आम तौर पर यह समझा जाता है कि लोग उम्मीदवार के व्यक्तिगत गुणों यथा कर्मठ, लोकसेवी, ईमानदार तथा प्रभावशाली आदि गुणों के आधार पर मतदान करते है। यद्यपि भारत में लिस्ट सिस्टम नहीं है। फिर भी पिछले दो दशकों में देखने को मिला है कि दल के करिश्माई नेतृत्व के आधार पर लोग मतदान करते है। प्रारंभ में जवाहर लाल नेहरू, 960–970 के दशक में इंदिरा गांधी, "977 में जयप्रकाश नारायण के आदव्हान पर, 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी तथा 204 के बाद नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के कारण मतदाताओं ने मतदान किये ।

3. विचारधारा एवं नीतिः
लोकतांत्रिक राजनीति में विचारधाराओं का प्रबल प्रभाव देखा गया। कल्याणकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय तथा गरीबी उन्मूलन जैसी विचारधारा से प्रभावित होकर लोगों ने मतदान कियाद्य प्रारंभ में समाजवादी लोकतंत्र की विचारधारा प्रभावी रही। सामाजिक न्याय की विचारधारा के प्रभाव में 989, 99। तथा 1996 के लोकसभा चुनावों में मतदान हुये। चहुमुखी विकास एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा 998, 999 के चुनावों में प्रभावी रहे पुनः 2004 से लेकर 203 तक लोकतांत्रिक सुदृढ़िकरण एवं लोक कल्याणकारी नीतियों जैसे सूचना के अधिकार, व्यापाक रोजगार गारंटी तथा शिक्षा के अधिकार आदि के विचारधारा मतदान व्यवहार के लिए प्रभावी रही। 204 से लोगों के मतदान के लिए परिवर्तनवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा भ्रष्टाचार के उलत्मूलन आदि नीतियों के पक्ष में मतदान हुये। परन्तु संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग 2002 के रिपोर्ट बताया गया कि दलों में नीतियो का लोप हो रहा है।

4. जातिवादः
भारतीय राजनीति में जाति तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय समाज की संरचना में जाति तत्व सदियों से विद्यमान है। समस्त भारत में जातियों एवं जाति समूहों के बीच प्रभुत्व की स्पर्धा की स्थिति रही और किसी एक जाति या जाति समुह का राजनीति शक्ति संरचना पर अधिक प्रभाव रहा। डी. एल. सेठ ने ठीक ही लिखा की "जाति को प्रतियोगी संरचनात्मक राजनीति में खींचकर राजनीति समाज में अपना आधार बनाती है। और प्रतियोगी राजनीति के नियमों में अपने को आबद्ध कर जाति राजनीतिक विशेषताओं को ग्रहण करती है"। एम.एन. श्री निवास का भी मत है कि जाति व्यवस्था राजनीति को और राजनीति भी जातिप्रथा को परिवर्तित और रूपांतरित करती है। फलस्वरूप प्रभुत्व हासिल करने के लिए जातियाँ जाति समूहों में गोलबंध हो जाती है। यदि आम चुनाव पर नजर डाले तो 967 से ही जाति तत्व महत्वपूर्ण कारक बन गया। परन्तु जातिवाद का उग्र प्रभाव हम मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागु करने के बाद के अवधि में खासकर उत्तर भारत में अधिक दृष्टि गोचर होता है। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन, कतिपय दलों का जाति विशेष हित के संरक्षक के रूप में पहचान तथा निर्वाचन क्षेत्रों में जाति विशेष का बहुसंख्यक होना मतदान व्यवहार में जाति तत्त की प्रबलता को बढ़ा देता है। हिन्दी हार्टलैण्ड में 989, 99", 996, के लोकसभा तथा 990, 1995, 2000 तथा बिहार में बदले समीकरण में 2005, 200 तथा 205 के चुनावों के परिणाम से स्पष्ट होता है।

5. स्थिर सरकारः
बार–बार दलीय समीकरण बदलने से राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। लोक कल्याण और आर्थिक विकास के कार्य रूक जाते है। ऐसी परिस्थिति में मतदाता स्थिर एवं सुदृढ़ सरकार के लिए किसी खास दल को मतदान करते है। उदाहरण के लिए 980, 499। तथा 999 के लोकसभा तथा कई राज्यों के चुनावों में सरकार की स्थिरता की आवश्यकता ने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया।

6. क्षेत्रीयताः
भारत मे क्षेत्रीय विषमतायें खासकर विकास की दृष्टि से बहुत प्रबल हैद्य इसके आलावा भूमिपुत्र की भावना भी मतदाताओं को प्रेरित करती हैद्य माइरन वीनर ने इस बात की पहचान अपनी पुस्तक "संस ऑफ द स्वॉयल' में कि है। कई बार खास क्षेत्रों में मतदाता बाहरी व्यक्ति को मतदान नहीं देते। ऐसा ज्यादातर राज्य के आम चुनावों में देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप हम विगत झारखण्ड विधानसभा चुनाव 209 तथा दक्षिण भारतीय राज्यों में मतदान व्यवहार को ले सकते है।

7. धर्म एवं सांप्रदायिकताः
भारत मे धर्म एवं संप्रदाय मतदान का महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है। बटवारे के बाद धार्मिक एकजुटता के कारण मतदान व्यवहार धर्म से प्रभावित रहा है। कांग्रेस शासन के अल्पसंख्यकों के हित साधन की नीति के कारण मुसलमान उसी के पक्ष में वोट देते है 99 में बाबरी मस्जिद के ढ़हने के बाद सांप्रादायिकता के आधार पर मतदान व्यवहार प्रभावित होने लगा जिसे विद्वानों ने कमंडल की राजनीति का नाम चुनाव अध्येताओं ने मंडल–कमंडल की राजनीति शब्द का खुब उपयोग किया है। विगत दो आम चुनावों में देखा गया कि हिन्दुत्व का मुद्दा मतदान व्यवहार पर हावी रहा।

8. भाषाः–
उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में भाषा मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। विशेष रूप, से तमिलनाडू के राजनीति में हिन्दी भाषी व गैर हिन्दी भाषा का मुद्दा अत्यंत प्रभावी रहता है। भाषा भी लोगों के मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला एंक महत्वपूर्ण कारक है।

9. मतदाता की आर्थिक स्थितिः
ऐसे मतदाता चुनाव में अधिक रूची लेते है। जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके विपरित निर्धन मतदाता, तिहाड़ी मजदुर, रेहणी पटरी वाले लोग अपनी दैनिक मजदुरी की कीमत पर मतदान को प्राथमिकता नहीं दे पाते है। यदि निर्धन लोग मतदान को प्राथमिकता देंगे तो इससे उनकी दैनिक मजदूरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अतः मतदाता की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।

10. धन की भूमिकाः
चुनावों में किया जाने वाला धन का प्रयोग भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। विशेष रूप से गरीब देशों में राजनीति दलों द्वारा मतदाताओं को धन का लालच दिया जाता है। जिससे प्रभावित होकर मतदाता अपनी मतदान की प्राथमिकता में परिवर्तन कर देते है और इससे चुनावी परिणामों में भी परिवर्तन हो जाता है।

11. शिक्षाः
शिक्षा का स्तर भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः अशिक्षित लोग अपने हितों की परवाह किये बिना राजनेताओं या राजनीतिक दलों के भड़काऊ बयानों के शिकार होकर मतदान करते है। इसके विपरित शिक्षित लोग अपने हितों के मद्दे नजर मतदान करते है। इसके आलावा आजकल मतदाता ऐसे उम्मीदवारों का निर्वाचन करना पसंद करते है। जो अपेक्षाकृत बेहतर शिक्षित पृष्ठभूमि रखते है।

निष्कर्ष

उपरोक्त कारकों में से कोई एक कारक कभी भी मतदान व्यवहार का कारक नहीं बनता अपितु इनमें से एक से अधिक कारणों से प्रभावित होकर मतदान करते है। साथ ही समय–समय पर मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक बदलते भी रहते है। अपने इस आलेख के माध्यम से हमने मतदान व्यवहार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझा और उन कारकों का भी अवलोकन किया जो मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैद्य हमने उन कारकों का चयन विशेष रूप से भारतीय राजनीति परिदृश्य के अनुसार किया है। इस आलेख के माध्यम से आपको यह समझने में आसानी होगी की भारत की राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा कौन से कदम उठाये जाते है।

संदर्भः

1. पालफे, टीआर और पूले, केटी (997) सूचना विचारधारा और मतदान व्यवहार के बीच संबंध।
2. बेन मिलने (209) "आम चुनाव 209" क्या लोग अभी भी वर्ग के अनुसार मतदान करते हैं?
3. बार्टल्स, एलएम (2000) "पक्षपात और मतदान व्यवहार "4952–996"
4. ओशी, शिगे हिरो (204)" समाजशास्त्रीय मनोविज्ञान"
5. वैन एशे, जैस्पर (2047) "जब गर्मी चालू हैः राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता व्यवहार पर तापमान का प्रभाव" छा फि 0 9 नो